न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

धानसिंह पुत्र देवीराम निवासी चिम्मन का पुरा, पटोंदा, तहसील हिण्डौन जिला करौली
— अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.—04/2020 ता.रजु—13.01.2020

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक—10.02.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर राशनकार्ड संख्या 007657400440 का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने से संबंधित आदेश, ग्राम पंचायत पटोंदा की दोनों राशन दुकानों के संबंध में जनवरी 2017 से नवंबर 2019 तक की अवधि में कितना राशन किस राशन कार्ड यूनिट के लिए आवंटित किया गया, की राशन कार्ड अनुसार सूची, राशन डीलरों द्वारा राशनकार्ड अनुसार वितरित मात्रा, राशन वितरण नहीं होने पर वापस जमा राशन का विवरण आदि 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक रसद/आरटीआई/2020/2719 दिनांक 03.02.2020 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक 2666 दिनांक 20.01.2020 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिसकी प्रति इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 14:02:11 IST
Reason: SelfAttested